

क्रमांक/न्याय0/जे-3/12ए1ए1/85-86/नांकाणे-69/103^{वा} भारत सरकार

जमाती
उर्मूल उर्मूल हेमण्ड रिसर्च
एन्ड डेवलपमेंट ट्रस्ट,
नांकाणे


आयकर आयुक्त कार्यालय,
जोधपुर ।
दिनांक 6.12.85

विषय:- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए1ए1
के अधीन न्यास/संस्था का पंजीकरण -

उर्मूल उर्मूल हेमण्ड रिसर्च एन्ड

डेवलपमेंट ट्रस्ट, नांकाणे दिनांक 26.12.85 के अधीन गठित है, वे
दिनांक 5.12.85 को निर्धारित प्रारंभ में आयकर अधिनियम 1961 की धारा
12 ए1ए1 के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित-समयावधि
में है जो कि निर्धारित समय के पिलम्ब से होने पर सियास बाहर था । न्यास/
संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र देर से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने से इस देर को माफ
किया जाता है ।

2। प्रार्थना-पत्र को धारा 12 ए1ए1 के अन्तर्गत इस कार्यालय के
प्रार्थना-पत्रों के रजिस्टर संख्या 37/85-86 पर दर्ज कर लिया गया है ।



(Handwritten Signature)
जो. सी. मयवाल
आयकर आयुक्त, जोधपुर
6/12/85

प्रतिलिपि :-

- 1। आयकर अधिकारी ----- जोधपुर नांकाणे को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2। निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त ----- नांकाणे रेंज

जमाती/

म. ए. राजोरिया
(र. म. ए. राजोरिया)
आयकर अधिकारी, न्यायिक,
जोधपुर आयुक्त, जोधपुर ।
जोधपुर (राज.)